

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—स.3-3 (1) स्था/मंत्रा./अभि./2016/10124-29 दिनांक 9-9-16

आदेश:

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ. पी. ए.॥/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अध्यक्षीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	से.नि. से पूर्व का विभाग	ए.डी.पी कार्यालय का नाम जिसमें नियुक्ति की जानी है	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
01	श्री ओमप्रकाश गौतम	01.04.1956	अभि0 विभाग	एडीपी कोटा	प्रथम बार
02	श्रीमती मंजू धनकर	21.02.1956	न्याय विभाग	एडीपी कोटा	प्रथम बार
03	श्री तुलसीदास	05.06.1955	वन विभाग	एडीपी हनुमानगढ़	प्रथम बार
04	श्री राजेन्द्र कुमार बालोदिया	15.08.1955	कार्मिक(क-4/2) विभाग	अभियोजन निदेशालय	प्रथम बार
05	श्री झाबरमल	15.06.1956	अभि0 विभाग	एडीपी सीकर	प्रथम बार
06	श्री महावीर प्रसाद जैन	01.07.1956	अभि0 विभाग	एडीपी सवाईमाधोपुर	प्रथम बार
07	श्री हस्तीमल गदिया	11.7.1954	न्याय विभाग	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार
08	श्रीमती शशिकला जैन	31.10.54	महिला औ.प्र.सं. उदयपुर	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार

- कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा दिनांक 28.02.2017 तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाए किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- इनके पारिश्रमिक का भूगतान बजट मद 2014-00-114-(02)(01)(41) (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गुह(गुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 98563 दिनांक 06.09.2016 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें।

216/8/9/16
(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 अनुभागाधिकारी गृह(ग्रप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन,
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
- 5 संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
- 7 लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

216/8/9/16
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर